हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: सं. 167–169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, तमिलनाडु, भारत
शाखा कार्यालय: कार्यालय सं.–286, पॉकेट–1, द्वितीय तल, सेक्टर–25, सीएनजी पंप के पास, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

अधिकृत अधिकारी: श्री प्रमोद चंद – 9990338759; ईमेल: parmod.chand@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम ,2002(सारफेसी अधिनियम) के अंतर्गत एचएचएफएल के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री

एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची में वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उसके बकाये की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों पर अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को "जैसी है जहां है और जैसी है, वैसी है आधार पर" निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री की मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: : 1.निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री" जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी है" पर की जाएगी ; 2. क्रेता को एचएचएफएल द्वारा सम्पत्ति की खरीद प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर 25% राशि जमा करनी होगी, और शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी ; 3. क्रेता को उक्त उपबन्ध (2) के अनुसार प्रस्तावित राशि का 10% आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित 25% राशि में समायोजित किया जाएगा; 4. यदि क्रेता उपरोक्त (2) शर्त के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी; 5. यदि एचएचएफएल क्रेता के खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, 6. संपत्ति को एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात ,मौजूदा और भविष्य के सभी अधिभारो के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावे, अधिकारों या देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; 7. क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि के लिए उचित जांच-पड़ताल करनी होगी। क्रेता बाद की तिथि में अधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकेगा; 8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; 9. यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो एचएचएफएल सबसे ऊंचे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा; 10. इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त करने और आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं; 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, कर, शुल्क और अन्य खर्चे का वहन करना होगा; 12. बिक्री सारफेसी अधिनियम /नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी; 13. बिक्री की तिथि 16-01-2026 होगी।

संपत्ति का अनुसूची विवरण (सुरक्षित संपत्ति)

प्राइवेट फ्लैट नं. टीएफ-302, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार के बिना, संपत्ति सं. 1 और 2 के हिस्से पर निर्मित, टावर-डी, क्षेत्रफल 55 वर्ग गज, यानी 45.98 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग गज में से, खसरा नं. 65/20, हरसलाल, दिल्ली, प्रताप एनक्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059, सीमाएं: पूर्व: सड़क 15 फीट, पश्चिम: प्राइवेट नंबर टीएफ-303, उत्तर: सड़क 15 फीट, दक्षिण: प्राइवेट नं. टीएफ-301 **LAN: DL/DLS/DLSD/A000000116**

(श्री दीपक शर्मा और श्रीमती हीमा शर्मा) आरक्षित मूल्य: रू. 16,50,000/- [रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र]

दिनांक: 01-01-2026, स्थान: दिल्ली — अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

CIN: U65922HR2016PTC057984
पंजी. कार्या.: 2009-14, 20वीं मंज़िल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटें. रोड, सेक्टर 58, गुरुग्राम-122011

अचल संपत्तियों की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) तथा नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम,2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना एतद्द्वारा नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक /प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.,प्रतिभूत क्रेडिट के अधिकृत अधिकारी द्वारा यूएचएफएलपी में ऋण हस्तांतरण के अनुसार30.12.2025 को भौतिक कब्जा किया गया है, को कंपनी के बकाया राशि की वसूली हेतु 06.02.2026 को **"जैसी है जहाँ है"**, **"जैसी स्थिति में है"**, और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री की जाएगी।

ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो, सहित अचल संपत्ति का विवरण: आवासीय प्लॉट का वह सारा हिस्सा और पार्सल जिसका कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है जो प्लॉट नं. 197 के 75 वर्ग फुट और प्लॉट नं. 196 के 25 वर्ग गज का संयुक्त हिस्सा है जो खसरा नं. 3/22(8-0) में शामिल है, जो वाका मौजा नगला गुजरान, तहसील और जिला- फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। सीमाएं: पूर्व- प्लॉट नं. 214 और 215, पश्चिम- उपलब्ध नहीं, उत्तर- उपलब्ध नहीं, दक्षिण- 15 फीट चौड़ी सड़क।

उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम व पता	1.नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति का ईएमडी 3. बोली वृद्धि
1 सैकुल खान, पुत्र शहाबुद्दीन (उधारकर्ता) 2. शाहिद, पुत्र शहाबुद्दीन (सह-उधारकर्ता) 3.शहाबुद्दीन पुत्र रुजदार (सह-उधारकर्ता) 4.सुबानी पत्नी शहाबुद्दीन (सह-उधारकर्ता) उपरोक्त सभी निवासी: धरिया मोहल्ला, गाँव पाली, फरीदाबाद, हरियाणा-121004; अन्य पता: मकान नं.-8, मंडीखेड़ा (53) मेवात, हरियाणा-122108 एलएएन सं.: LXLAX02924-250042428	1.नीलामी की तिथि: 06.02.2026, दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। 2.केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 04.02.2026 को शाम 7:00 बजे (आईएसटी) तक है। 3.निरीक्षण की तिथि: 02.02.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 (आईएसटी) तक है।	1. आरक्षित मूल्य: रु. 22,62,000/- 2. धरोहर राशि : रु. 2,26,200/- 3. बोली वृद्धि: रु. 15000/- और उसके गुणकों में

अनुबंध तिथि: 27-सितंबर-2024, ऋण राशि: रु 27,50,000/-, देय राशि: रु 29,46,155/- (रुपये उनतीस लाख छियालीस हजार एक सौ पचपन मात्र) जो कि 29-दिसंबर-2025 तक देय है + 30-दिसंबर-2025 से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क।

स्थान: गुरुग्राम — अधिकृत अधिकारी, गौरव त्रिपाठी, मोबाइल- 9650055701
दिनांक: 01.01.2026 — उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

HDFC BANK

We understand your world

विशेष कार्य विभाग : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भू तल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली–110002

सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) ने उनको बैंक से उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा का मूलधन तथा ब्याज चुकाने में चूक की है तथा उनके ऋण खाते 30-04-2025 को अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के तहत, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं 25-11-2025 को प्रेषित की गई थीं, परंतु वे बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं और इसलिए उनको एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

कर्जदार का नाम : 1. रसिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 141 किमी दिल्ली आगरा बाई पास, अलवर रेलवे ब्रिज के पास, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश अन्य स्थानः फैक्ट्री- यूनिट 2, 178/63, बाई पास रोड गोकुल रेस्टोरेंट के पास एनएच-2, मथुरा उत्तर प्रदेश 281003
बंधकदाता एवं गारंटर का नामः- 2. रसिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ए जे चैम्बर्स-चतुर्थ तल, कमरा नंबर 407 953-956, गली नंबर 4, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005, अन्य पता : प्लॉट नंबर - 1/1 इंडस्ट्रियल एरिया कोसी कोटवन एक्सटेंशन -2, कोसी कोटवन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
निदेशक एवं गारंटर का नाम : 3. श्री गिरधारी लाल खंडेलवाल, पुत्र श्री रतन लाल खंडेलवाल, मकान नंबर-7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 4. श्री रसिक लाल खंडेलवाल, पुत्र श्री गिरधारी खंडेलवाल, मकान नंबर-7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 5. श्री गोपाल खंडेलवाल, पुत्र श्री गिरधारी खंडेलवाल, मकान नंबर-7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
गारंटर का नाम : 6. सुश्री शशि रानी खंडेलवाल, पत्नी श्री गिरधारी खंडेलवाल, मकान नंबर-7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 7. रसिक गोपाल एंटरप्राइज ट्रस्ट, 99, गोविंद देव मंदिर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश-281121, 8. रसिक गोपाल प्राइवेट ट्रस्ट, 99, गोविंद देव मंदिर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश-281121, 9. शशि फैमिली ट्रस्ट, 99, गोविंद देव मंदिर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश-281121, 10. गिरधारी फैमिली ट्रस्ट, 99, गोविंद देव मंदिर, वृंदाबन मथुरा, उत्तर प्रदेश-281121

चल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति का वर्णन	आस्ति स्वामी
सभी वर्तमान और भावी स्टॉक्स और बही ऋणों पर विशिष्ट प्रभार द्वारा दृष्टिबंधन।	रसिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति स्वामी
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट संख्या-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, तहसील-छाता, जिला- मथुरा, कोसी कोटवन, एक्सटेंशन-II, तहसील छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281403। क्षेत्रफल-28011.15 वर्ग मीटर	रसिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
सूचना की तिथि : 25-11-2025	एनपीए की तिथि : 30-04-2025

बकाया राशि (15-11-2025 तक) : रु. 4,31,03,876.57 (रुपये चार करोड़ इकतीस लाख तीन हजार आठ सौ छिहत्तर और पैसा सत्तावन केवल) और 16-11-2025 से अनुबंध दर के अनुसार भावी ब्याज देय और बकाया है।

उपरोक्त नामक कर्जदार तथा/अथवा उनके गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) से एतद्द्वारा उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, अन्यथा 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 01-01-2026, स्थान : दिल्ली — वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

kotak कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27बीकेसी , सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051.
शाखा कार्यालय रू एपिकहड मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस,

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर,जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है) इसका शाखा कार्यालय एपिकाह मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 पर है, जो ऋण सुविधा की व्यापक ईएमआई चुकाने और/या केएमबीएल को अपनी क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज की पूर्ति करने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आज तक बकाया ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा केएमबीएल को बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर के साथ-साथ सामान्य रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी)के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता ने इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाए गए बकाया को चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें उसे संपत्तियों पर कब्ज़ा करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करें।

उधारकर्ताओं / गारंटर और बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.मेसर्स आशीर्वाद इंडस्ट्रीज एलएलपी उधारकर्ता) (अपने साझेदारों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से) 538 के/147 त्रिवेणी नगर 1 न्यू लखनऊ अकादमी स्कूल लखनऊ -226020 इसके अलावा: मेसर्स आशीर्वाद इंडस्ट्रीज एलएलपी (उधारकर्ता) (अपने साझेदारों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से)सी-30, एल रोड, मंदिर मार्ग,श्याम सत्संग भवन के पास, महानगर लखनऊ -226006 इसके अलावा: मेसर्स आशीर्वाद इंडस्ट्रीज एलएलपी (उधारकर्ता) (अपने साझेदारों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से) फ्लैट नंबर टी.एफ.17, आरोही आर्केड, सेक्टर-16, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016 2. श्रीमती गीता शुक्ला (गारंटर/गिरवीदार) पत्नी श्री नरवदेश्वर शुक्ला, 538 के/147 त्रिवेनी नगर 1,न्यू लखनऊ एकेडमी स्कूल, लखनऊ -226020 अन्य पता: श्रीमती गीता शुक्ला पत्नी श्री नरवदेश्वर शुक्ला (गारंटर/गिरवीदार), मकान नंबर-12, त्रिवेनी नगर-1, सीतापुर रोड, लखनऊ -226020, साथ ही: श्रीमती गीता शुक्ला, पत्नी श्री नरवदेश्वर शुक्ला (गारंटर/गिरवीदार), 2/16 ऑफिसर्स कॉलोनी, कैसरबाग, लखनऊ 226001, 3. श्री राजीव शुक्ला (गारंटर), आर 538 के/147 त्रिवेनी नगर, 1 न्यू लखनऊ एकेडमी स्कूल, लखनऊ 226020,3. श्री राजीव शुक्ला (गारंटर), मकान संख्या 12, त्रिवेनी नगर- 1 सीतापुर रोड, लखनऊ 226020, 4. श्रीमती पुष्पा शुक्ला (गारंटर), मकान संख्या 12, त्रिवेनी नगर-1 सीतापुर रोड, लखनऊ 226020	निम्न पता वाले संपत्ति के सभी भाग और अंश :— इरादत नगर गांव, शहर एवं जिला लखनऊ में स्थित भूखंड संख्या खसरा संख्या 61 मिन का 12वां प्लॉट, क्षेत्रफल 2100 वर्ग फुट है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रास्ता, उत्तर: रास्ता, पश्चिम: प्लॉट संख्या 13, दक्षिण: प्लॉट संख्या 24 एनपीए तिथि: 14 जून 2025 **ऋण खाता संख्या, मांग सूचना तिथि और राशि ऋण खाता संख्या** 9512804229 मांग सूचना तिथि: 18.12.2025 बकाया राशि: 01.11.2025 तक 49,39,218.48 रुपये (उनचास लाख उन्तालीस हजार दो सौ अठारह रुपये और अड़तालीस पैसे मात्र)

दिनांक: 01/01/2026 स्थान: लखनऊ — कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड , अधिकृत अधिकारी:

ADITYA BIRLA CAPITAL

LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266,
शाखा कार्यालय: तीसरी मंजिल, जीएस-ट्रेड सेंटर, 534–535–536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर–302021

सरफेसी अधिनियम 2002 धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है और आप, नीचे उल्लिखित, ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर के रूप में हैं। आपके द्वारा किए गए डिफॉल्टर के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया था। नोटिस में यह कहा गया है कि आपने आपको गारंटीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार नोटिस की तामील करने के लिए किया गया है।

ऋण खाता संख्या/खाते का नाम और पता, उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं)	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
ऋण खाता नं. **ABUDPLAP000000574427**, 1. श्री प्रवीण लाल डांगी, पता: मकान नंबर-4, खसरा नंबर-1165, 1152 से 1155, रेवेन्यू गाँव-सवीना, उदयपुर, राजस्थान-313002 2. श्रीमती दुर्गा, पता: मकान नंबर-4, खसरा नंबर-1165, 1152 से 1155, रेवेन्यू गाँव-सवीना, उदयपुर, राजस्थान-313002, 3. मेसर्स पटेल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स इसके प्रोपराइटर द्वारा पता: मकान नंबर-4, खसरा नंबर-1165, 1152 से 1155, रेवेन्यू गाँव-सवीना, उदयपुर, राजस्थान-313002	**23.12.2025** **एनपीए की तिथि 14.12.2025**	**रु. 87,73,056.56 (रु. सत्तासी लाख तिहत्तर हजार छप्पन और पैसे छप्पन मात्र) और दिनांक 22.12.2025 तक**

"लागू की गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण": – सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि "प्लॉट नंबर-4, खसरा नंबर-1165, 1152 से 1155, रेवेन्यू गाँव-सवीना, उदयपुर, राजस्थान-313002" और इसके साथ ही इस पर बनी/बनाई जाने वाली इमारतें और स्ट्रक्चर, यदि कोई हों, और सभी गिरवी रखने वाले के प्लांट और मशीनरी, यदि कोई हों, जो जमीन से जुड़े हों या जमीन से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े हों, जिसकी सीमाएँ: पूर्व – प्लॉट नंबर-05, पश्चिम – प्लॉट नंबर-3, उत्तर – अन्य जमीन, दक्षिण – 30 फीट रोड

आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को ब्याज और लागत सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करना शामिल है। उक्त अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने की शक्ति, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार शामिल हैं (2) सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन, जिसमें पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार शामिल हैं और सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में कोई भी हस्तांतरण, हस्तांतरित सुरक्षित परिसंपत्तियों के सभी अधिकारों और संबंधों में निहित होगा, क्योंकि हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित संपत्ति को आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक: 01.01.2026, स्थान: उदयपुर, राजस्थान — **अधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सईदापेट, चेन्नई-600015
ईमेल : auction@hindujahousingfinance-com शाखा कार्यालय : प्रथम 124/ओ/64, निकट पॉपुलर घरम कांटा, गोविंद नगर, कानपुर-208006

आरएलएम – श्री ब्रजेश कुमार अवस्थी 9918300185 सीएलएम – सोनम मिश्रा 9368111464, आरआरएम – श्री पुष्कर अवस्थी 9453043399, सीआरएम – मीतेश मिश्रा 9555269296

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, **हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार को खाते के सामने वर्णित और यहां नीचे भी वर्णित तिथि को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार (इसमें आगे कर्जदार औश्र गारंटरों को सामूहिक रूप से "कर्जदार" कहा गया है) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाते के सामने वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन-देन नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन **हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** की उक्त बकाया राशि संविदात्मक दर पर ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों इत्यादि सहित चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 म0	आवेदन संख्या/ कर्जदारों/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण
1	**आवेदन संख्या : UP/KNP/KANP/A000001080 श्री मणिमय सचान, श्रीमती गरिमा सचान, श्रीमती संतोष सचान,** 1611/01, नौबस्ता, कानपुर, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208021	**10-10-2025** **27-12-2025 सांकेतिक**	**रू. 8,43,658 09-10-2025 तक + उस पर ब्याज**	प्लॉट संख्या 01, आराजी 1611, नौबस्ता, शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत 208001, क्षेत्रफल : 107.008 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूर्वः खुली भूमि, पश्चिमः प्लॉट संख्या 2 और 3, उत्तर प्लॉट श्रीमती राम श्री, दक्षिणः 20 फीट रोड
2	**आवेदन संख्या : UP/KNP/KANP/A000003268 श्री अंकुर त्रिवेदी, श्रीमती आंचल गुप्ता, श्री अभिषेक त्रिवेदी, श्रीमती संतोष त्रिवेदी** 1539, बुधपुर मछरिया, 1, कानपुर नगर, मेट्रो, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत –208021	**10-10-2025** **27-12-2025 सांकेतिक**	**रू. 15,40,299 09-10-2025 तक + उस पर ब्याज**	आराजी संख्या 1539 प्लॉट संख्या 18 ए बुद्धपुर मछरिया कानपुर नगर, नौबस्ता कानपुर नगर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत 208011, क्षेत्रफल-55.743 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूर्व-प्लॉट संख्या 18 पश्चिमः प्लॉट संख्या 19 उत्तर-रोड 20 फीट, दक्षिणः प्लॉट नंबर 20

तिथि : 01-01-2026 स्थान : कानपुर — **प्राधिकृत अधिकारी हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

वसूली अधिकारी का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली,

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

बिक्री उद्घोषणा

टीआरसी/117/2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक विरुद्ध अजय कुमार अरुण और अन्य

बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

(सीडी1) अजय कुमार अरुण पुत्र श्री कोमिल सिंह
(सीडी2) कोमिल सिंह
दोनों निवासी- डी-409, सेक्टर-71, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली
पता यहां पर भी : द्वारा विकी कम्युनिकेशन, पता : ए-20/जी-I, ब्लॉक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095
पता यहां पर भी : मकान सं. 1/102, भू तल (पिछला भाग), डीएलएफ एक्सटेंशन-II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
(सीडी3) राजेश कुमार पुत्र हरि देव, निवासी जी-205, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली

1. जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओए नं. 253/2014 के अंतर्गत हस्तांतरण वसूली प्रमाणपत्र संख्या 117/2022 आहरित किया गया है, जिसमें रु. 18,58,696.00 की एक राशि की वसूली, लागतों और 10: प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज सहित, ओए प्रस्तुति करने की तिथि अर्थात् 31-03-2014 से इसकी वसूली तक, और साथ ही देनदारों से प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और प्रभार का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जबकि इसके तहत रु. 1858696.00 की एक राशि, लागतों और 10: प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज सहित, ओए प्रस्तुत करने की तिथि यानी 31/03/2014 से लेकर इसकी प्राप्ति तक, और प्रमाण पत्र के अनुसार लागत का भुगतान करने के लिए देय होगी। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, निम्नलिखित संपत्ति/यों की ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी और बोलीदान प्रक्रिया वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से 10/02/2026 को दोप. 12.00 से अप. 1.00 बजे के बीच "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान" के माध्यम से होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अप. 1.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवध